सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 60 राँची, मंगलवार, 24 फ़रवरी, 2026 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

19 फ़रवरी, 2026

ज्ञापांक-08/चुनाव-01/2026 न0वि0आ0-565--

विषयः नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के निमित्त चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय/ यात्रा भत्ता के भुगतान एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि से अधिक देर रात्रि तक कार्य करने के निमित पारिश्रमिक भुगतान हेतु दर निर्धारण की स्वीकृति।

वर्तमान में नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 की घोषणा हो चुकी है तथा निर्वाचन कर्तव्य प्रारंभ है। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्शानुसार नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के निमित्त चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय/यात्रा भत्ता के भुगतान एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि से अधिक देर रात्रि तक कार्य करने के पारिश्रमिक भुगतान हेतु निम्न पदाधिकारियों/कर्मियों तथा भोजनादि एवं अन्य यथा आवश्यक दर के निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

(A)

Remuneration		
Sl.	**Designation of Officers/ Officials**	**Minimum Rate of remuneration (in rupees)**
1	Zonal Magistrate (if deployed, other than Sector Officer)	Rs. 1500/- lump sum
2	Presiding Officer & Counting Supervisor	Rs. 500 per day or part thereof 2000/- lump sum
3	Polling Officer	Rs. 400 per day or part thereof 1600/- lump sum
4	Counting Assistant	Rs. 450 per day or part thereof 1350/- lump sum
5	Class-IV employees for commissioning of EVMs, dispatch of polling parties and poll materials and counting of votes etc.	Rs. 350 per day or part thereof 1400/- lump sum
6	Class-IV employees for call centre/control room	Rs. 1000/- lump sum
7	Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Accounting Team, Control Room and Call Centre Staff, Media Certification and Monitoring Committee, Flying Squads, Static Surveillance Team, Expenditure Monitoring Cell	Class-I/II (Rs. 3000 lump sum) Class-III (Rs. 2000 lump sum)
8	Micro Observer	Rs. 2000 lump sum
Food/Refreshment		
9	Packed Lunch and refreshment for polling Personnel including police personnel, personnel in mobile parties, Home Guards, Forest Guard, Gram Rakshak Dal, NCC Cadets, ex-Serviceman, volunteers etc. deployed at all polling stations/ counting centres for election related works.	Packed lunch and refreshment or payment of Rs. 500 per day or part thereof.

नोटः- इस दर के आलावा कोई TA/DA देय नहीं होगा।

(B) निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि से अधिक देर रात्रि तक कार्य करने के लिए पारिश्रमिकः-

क्र॰	विवरणी	राशि
i	ii	iii
1	अवकाश के दिन (क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं)	-
	(क) राजपत्रित पदाधिकारी Class-II & above	850/- रूपये प्रतिदिन
	Class-III/ पर्यवेक्षक आदि	600/- रूपये प्रतिदिन
	Class-IV/ चालक/बॉडीगार्ड आदि	450/- रूपये प्रतिदिन
2	सामान्य कार्य दिवस (6 बजे संध्या से 10 बजे रात्रि तक)	225/- रूपये प्रतिदिन
3	सामान्य कार्य दिवस (रात्रि 10 बजे के पश्चात् या कुल कार्य अवधि 12 घण्टे से अधिक)	450/- रूपये प्रतिदिन

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

2. नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के लिए मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के कार्यालय आदेश संख्या-76, दिनांक-27.04.2024 के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जिलों के निर्वाचन कोषांग के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय इस शर्त पर दिए जाने का प्रस्ताव है कि

जिन पदाधिकारियों/कर्मियों को इस प्रावधान के अनुसार मानदेय का लाभ मिलेगा, उन पदाधिकारियों/कर्मियों को उपर्युक्त कंडिका-2(B) में निर्धारित पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

3. दर भुगतान के संबंध में अन्य शर्त्तों/तथ्यों का ध्यान रखा जायेगा, जो निम्नवत् हैः-

(i) सुरक्षित रखे गये कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थति में, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) उक्त पारिश्रमिक पाने वाले पदाधिकारी/कर्मी की पात्रता का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(iii) पारिश्रमिक राशि बैंक एकाउंट में सीधे अंतरित की जाएगी।

(iv) चुनाव प्रशिक्षण को भी कार्य दिवस में शामिल किया जाएगा। तद्नुसार कुल भुगतेय मानदेय की गणना की जाएगी।

(v) विशिष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया के लिए नामित/प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि निर्धारित दर पर भुगतेय होगी।

(vi) यात्रा भत्ता अग्रिमों की स्वीकृति तथा विपत्रों की जाँच और भुगतान आदि के संबंध में शेष प्रक्रिया वही होगी जो झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली तथा अन्य संगत नियमावली में प्रावधानित है।

(vii) चुनाव पर्यवेक्षक को मानदेय का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा। अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान उनके प्रतिनियुक्त कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर उपायुक्त इस कार्य हेतु राशि उपलब्ध करायेंगे।

4. नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 हेतु निर्धारित उक्त दर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत् निर्धारित बोर्ड के कालावधि तक कराए जाने वाले अन्य नगरपालिका चुनावों/उप-चुनावों में भी प्रभावी रहेगा।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 60 - 50